न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021"

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
34/2021	10.12.2021	10.12.2021

अनवान

1. मुकेश पुत्र राधेश्याम उम्र वयस्क निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ।
2. बद्रीलाल पुत्र डालचन्द उम्र वयस्क निवासी सिहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0एक्ट::–

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी श्री मुकेश ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0एक्ट के प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 ग्राम पंचायत चाकुडा में प्रस्तुत किया। उक्त की जांच तहसीलदार कपासन से करवाई गयी जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा सिंहपुर के खाता संख्या 922 में खातेदार हगामी, मोहनी पत्नि स्व0 हीरालाल हिस्सा 1/2, बद्रीलाल, सीमा, प्रेम पिता डालचन्द, शंकरीबाई पत्नि डालचन्द हिस्सा 1/2 जाट सा0देह के नाम आराजी संख्या 1338 रकबा 0.53 है0 दर्ज रिकार्ड था। खातेदार हगामी, मोहनी पत्नि स्व0 हीरालाल 1/2 तथा सीमा पिता डालचन्द हिस्सा 1/8 द्वारा मुकेश पिता राधेश्याम हेडा निवासी चित्तौड़गढ़ को 5/16 हिस्सा तथा ब्रदीलाल पिता डालचन्द जाट को 5/16 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 15.06.2017 को विक्रय किया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1661 दिनांक 27.06.2017 से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ। राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद पश्चात मुकेश पिता राधेश्याम हेडा निवासी चित्तौड़गढ़ हिस्सा 5/16 तथा ब्रदीलाल पिता डालचन्द जाट 5/16 हिस्सा व बद्रीलाल, प्रेम पिता डालचन्द, शंकरीबाई पत्नि डालचन्द का 3/8 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकन था। तत्पश्चात् उक्त सहखातेदारों द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान– न्याय आपके द्वार वर्ष 2017 के केम्प अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत दामाखेडा में 500/– रूपये स्टाम्प शुल्क पर आपसी सहमति से विभाजन नामा प्रस्तुत किया गया। उक्त सहमति बटवाडा तहसीलदार कपासन के द्वारा जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/अभियान/17/02 दिनांक 27.06.2017 [illegible] राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद बाबत् पटवारी पटवार हल्का सिंहपुर को प्रेषित किया गया। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1663 दिनांक 27.06.2017 से स्वी[illegible] किया जाकर पृथक–पृथक खाते दर्ज हुए जो निम्नानुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:49:53 IST
Reason: SelfAttested

	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1. मुकेश पिता राधेश्याम हेडा 1/2 सा. चित्तौड़गढ़। 2. बद्रीलाल पिता डालचन्द जाट 1/2 सा. देह।	1338	0.33	चाही 1
	किता 1	0.33	–

	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1. बद्रीलाल, प्रेम पिता डालचन्द, शंकरीबाई पत्नि स्व0 डालचन्द जाट सा. देह खातेदार।	1338/1	0.20	चाही 1
	किता 1	0.20	—

उक्त सहमति बटवाडे अनुसार वक्त पैमुदगी गलत लाईन डल जाने से दोनो आराजी नम्बर का नक्शे में रकबा गलत दर्ज हो गया। जिसमें दोनो आराजीयात में 0.03 है0 की शुद्धि के आदेश हेतु तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाकर निम्नानुसार नक्शा संशोधत चाहा गया है—

आराजी नम्बर	रकबा	नक्शा अनुसार रकबा	
		वर्तमान (हाल)	शुद्ध किया जाने वाला
1338	0.33	0.30	0.33
1338/1 (4140/1338)	0.20	0.23	0.20
किता 2	0.53	0.53	0.53

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। खाता संख्या 1338/1 (4140/1338) रकबा 0.20 है0 में खातेदार प्रेम पिता डालचन्द्र ने अपना 1/6 हिस्सा बद्रीलाल पिता डालचन्द जाट को रजिस्टर्ड हकतर्क कर दिया जो नामान्तरण संख्या 2044 दिनांक 26.10.2021 से अमल दरामद हुआ व शेष 1/6 हिस्सा को खातेदार शंकरी बाई पत्नि स्व0 डालचन्द जाट 1/3 हिस्सा के साथ जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुकेश पिता राधेश्याम हेडा को बेचान कर दिया जो नामान्तरण संख्या 2037 दिनांक 14.10.2021 से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ। हाल जमाबन्दी संवत 2074—2077 मौजा सिंहपुर के खाता संख्या 971 व 970 में मुकेश पिता राधेश्याम हेडा सा. चित्तौड़गढ़ व बद्रीलाल पिता डालचन्द जाट सा. देह खातेदार 1/2, 1/2 हिस्से से खातेदार है। उक्त दोनो खातेदारो द्वारा दोनो आराजीयात में 0.03 है0 की नक्शे में अशुद्धि को सुधारे जाने बाबत् सहमति पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली रहे। सम्पूर्ण पत्रावली के पश्चात् दोनो आराजीयात में 0.03 है0 की नक्शे में अशुद्धि होना जाहिर होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0एक्ट0 तहसीलदार कपासन की अनुशंषा के आधार पर स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि संलग्न नक्शा ट्रेस दिनांक 08.12.2021 के अनुसार नई प्रस्तावित शुद्ध तरमीम मूल नक्शे में की जावें। नक्शा ट्रेस बाद प्रमाणित एक प्रति के मय निर्णय की प्रति के तहसीलदार कपासन को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद बाबत् भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:49:53 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन